



REHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)





केभनि/क्षेका-जयपुर-स्था।/2/2025-0/० एचओडी(स्थापना)

दिनांक:06/03/25

सूचना(पृष्ठ-1)

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक नवरत CPSE. केंद्रीय भंडारण निगम, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में केंद्रीय भंडारण निगम के भृतपूर्व अधिकारियों(ई-4,ई-5,ई-6 आई डी ए वेतन स्तर से सेवा निवृत) से अनुबंध के आधार पर सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदनआमंत्रित किए जाते हैं। समेकित मासिक पारिश्रमिक विवरण नीचे दिए गए हैं:-

रिक्तियाँ	जॉब के अनुसार आवश्यकता	आवश्यक स्तर (आईडीए वेतनमान के अनुसार या 7वें सीपीसी वेतनमान के अनुसार स्तर) और समेकित मासिक पारिश्रमिक	चयन का तरीका
क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में सीमा शुल्क और सीएफएस/आईसीडी मामलों के लिए 01 सलाहकार	1.लॉजिस्टिक्स केन्द्रों को सँभालने में विशेषज्ञता 2.सी एफ एस /आई सी डी /आई सी पी /बॉन्डेड वेयरहाउस/रेल टर्मिनल/कस्टम संचालन के प्रबंधन में अनुभव 3. सीमा शुल्क अनुपालन सुनिश्चित करना 4. वैधानिक आवश्य ताकता और भंडारण निगम अधिनियम 1962 से परिचित होना।	ई3,ई4,ईएस या ई6 में अंतिम आहरित वेतन(मूल महंगाई भत्ता)का 50% मासिक पारिश्रमिक	साक्षात्कार/व्यक्तिगत बातचीत

बशर्ते कि सभी स्रोतों से प्राप्त पेंशन की राशि निर्धारित पारिश्रमिक/शुल्क से अधिक न हो। अंतिम आहरित वेतन का 50% तक हो , यदि सभी स्रोतों से प्राप्त पेंशन की राशि अंतिम आहरित वेतन के 50% से अधिक है, तो पेंशन की ऐसी अतिरिक्त राशि निर्धारित पारिश्रमिक/शुल्क से काट ली जाएगी(अर्थात अंतिम आहरित वेतन का 50%)

नियुक्ति की अवधि शुरू में एक (01) वर्ष के लिए होगी और यदि परामर्शदाता की सेवाएँ उपयोगी और संतोषजनक पाई जाती हैं, तो आवश्यकता के अनुसार निगम के विवेक के अनुसार कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध के आधार पर सलाहकारों /परामर्शदाताओं के रूप में पूर्व सीडब्लयूसी कर्मचारियों /बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति के तौर तरीके समय –समय पर निगम के संशोधित दिशा-निर्देशों द्वारा तय होंगे। सलाहकारों/परामर्शदाताओं की नियुक्ति के मुख्य नियम एवं शर्तें अनुबंध-1 के रूप में संलग्न हैं।

आवेदन कैसे करें:_ 1.इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा: https: //www.cwceportal.com/careers.ऑनलाइन आवेदन के लिए **लिंक** <u>07.03.2025</u> से <u>21.03.2025</u> तक सक्रिय रहेगा

2.अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करेंगे।

- *जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में एस एस सी /दसवीं का प्रमाण पत्र
- *शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र(अनंतिम /मूल) की स्व –सत्यापित प्रतियाँ
- *अनुभव /सेवा प्रमाण पत्र की स्व –सत्यापित प्रतियाँ
- *अंतिम नियोक्ता से सेवामुक्ति प्रमाण पत्र
- *अंतिम आहरित वेतन प्रमाण पत्र

3.सतर्कता मंजूरी के लिए वचनबद्ध:ता:-आवेदक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अनिवार्य रूप से प्रोफॉर्मा की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करेंगे,प्र्फ़ोरमा का प्रारूप अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

अभ्यर्थियों के साथ सभी पत्राचार केवल ई-मेल /सी डब्ल्यू सी वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। व्यक्तिगत बातचीत के बारे में जानकारी ई-मेल/सी डब्ल्यू सी वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

इस उद्देश्य के लिए,अभ्यर्थियों को आगे के दिशा निर्देशों के लिए नियमित रूप से सी डब्ल्यू सी के कैरियर पोर्टल(https://www.cwceportal.com/careers) पर जाने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई किसी अमान्य/गलत ई-मेल आई दी या किसी अन्य तकनीकी कारणों से भेजे गए ई-मेल के खो जाने के लिए सी डब्ल्यू सी की कोई जिम्मेदार नहीं होगी।

नोट: वे उम्मीदवार जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं,केवल उन्हें ही व्यक्तिगत बातचीत के लिए बुलाया जाएगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

(अक्षरा जैन)

कृते क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्र्तिलिपि: -

- 1. सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक-कृपया इसके प्रचार –प्रसार के लिए नोटिस बोर्ड पर लगाएँ।
- 2. वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक(एम आई एस),सी डब्ल्यू सी,निगमित कार्यालय इसे सी डब्ल्यू सी की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।

- अनुबंध के आधार पर परामर्शदाता/सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों/बाहरी विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए मुख्य नियम और शर्तैं:-
- 1. परामर्शदाता/सलाहकार को शुरू में एक (01) अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसे संबंधित विभाग की आवश्यकता के अनुसार 65 वर्ष तक वार्षिक आधार पर बढ़ाया जाएगा।
- 2. आवेदक पर कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही/आरोप नहीं होना चाहिए और न ही उसे कोई सजा दी गई हो।सलाहकार को उस संगठन /संगठनों द्वारा नियुक्त किया जाएगा जहां वह सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 10 वर्षों से सेवा कर रहा था। अनुबंध॥ में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसे नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 3. परामर्शदाता/सलाहकार को निगम के साथ संगत स्टाम्प मूल्य के उचित मूल्य पर एक गैर-प्रकटीकरण निगम पर हस्ताक्षर करना होगा।
- 4.परामर्शदाता/सलाहकार को निगमित कार्यालय में सुबह 10 बजे से 6 बजे तक एवं क्षेत्रीय कार्यालय में 10 बजे से 5 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय एवं वेयरहाउस में आरओ /सीओ द्वारा अधिसूचित समय के अनुसार काम करना होगा।
- 5.सीओ /आरओज़ / वेयरहाउस में कार्यरत परामर्शदाता /सलाह्कार का प्रदर्शन निगम के दिशा –िनर्देशों के अनुसार होगा।
- 6.परामर्शदाता/सलाहकार को टीए /डीए /होटल चार्ज का भुगतान उसी अनुसार किया जाएगा जिस पद से वह सेवानिवृत हुआ है। अन्य पी एस यू /सरकारी मामले में आधिकारिक दौरे के दौरान अधिकतम ई -8 स्तर के अधीन ही यह भुगतान दिया जाएगा।
- 7.परामर्शदाता/सलाहकार अपने कार्यकाल के दौरान परामर्श की गई किसी भी मामले से संबंधित कोई भी सूचना को किसी बाहरी एजेंसी को नहीं देगा।
- 8.परामर्शदाता/सलाहकार निगम की ओर से बाहरी एजेंसियों को दिये जाने वाले किसी भी दस्तावेज़/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा ।
- 9.परामर्शदाता/सलाहकार को उसे दिये जाने वाले पारिश्रमिक के अलावा कोई अन्य लाभ नहीं दिया जाएगा।
- 10.टी डी एस कंसलटेनसी पर लागू नियमों/ क़ानूनों के अनुसार काटा जाएगा।
- 11 परामर्शदाता /सलाहकार निगम के साथ अपने परामर्श की अवधि के दौरान पूर्ण अखंडता /निष्ठा और अनुशासन बनाए रखेंगे।
- 12 यदि परामर्शदाता /सलाहकार संबंधित विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय प्रबंधक की पूर्व स्वीकृति से (प्रति माह एक अवकाश के अलावा) तैनाती स्थल से अनुपस्थित रहते हैं, तो उनके मासिक पारिश्रमिक से राशि की कटौती आनुपातिक आधार पर की जाएगी।
- 13. परामर्शदाता /सलाहकार को नियंत्रण अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यस्थल/छुट्टियों/देर तक रुकने के लिए उपस्थित होना होगा, जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।
- 14. निगम द्वारा बिना किसी कारण तथा बिना किसी नोटिस के परामर्श की अवधि समाप्त की जा सकती है।
- 15.सी डब्ल्यू सी के साथ काम करने वाले परामर्शदाता /सलाहकार को सी डब्ल्यू में अपने प रामर्श कार्य के दौरान किसी अन्य संगठन /कंपनी(सरकारी या निजी) के साथ कोई कार्यभार लेने की अनुमति नहीं होगी।
- 16.निगम द्वारा नियुक्त परामर्शदाता का सी डब्ल्यू के साथ कोई कर्मचारी/ नियोक्ता संबंध नहीं होगा। इसलिए वे सी डब्ल्यू सी के कर्मचारियों को उपलब्ध ऐसे किसी भी लाभ के पात्र / हकदार नहीं होंगे।

सतर्कता मंजूरी के लिए शपथ पत्र

1 श्री/सुश्री/श्रीमती एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरे खिलाफ न तो कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही/आरोप पत्र लंबित था और न ही संगठन/संगठनों द्वारा मुझे कोई दंड दिया गया था, जहां मैं अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 10 वर्षों से सेवा कर रहा था।

दिनांक:

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर: वेयरहाउिसंग भवन, प्लॉट न. ४/१/९, सैक्टर-४,विद्याधरनगर, जयपुर-३०२०३९ दूरभाष : 0141-4987714











(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking) जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for everyone

CWC RO-JAI0ESTT/2/2025-O/o HoD(Establishment)_JAI

Dated 06.03.2025

NOTICE

Applications are invited from Ex-officers of Central Warehousing Corporation (retired from E3, E4, E5 or E6 IDA Pay Level) for engagement as Consultant on contractual basis in Central Warehousing Corporation, a Navratna CPSE under Administrative Control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution on a consolidated monthly remuneration. The details are as below:

Vacancy		Job Requirement	Required Level (as per IDA pay scales or Level as per 7th CPC pay scales) and Consolidated monthly remuneration	Mode of selecti on
01 Consultant	1.	Expertise in handling logistics	E3, E4, E5 or E6 Monthly	Intervi
For Customs, &		hubs/Rake handling	remuneration of	ew/
CFSs/ICDs related		warehouses.	*50% of last drawn Pay (Basic	Person
matters at	2.	Experience in managing	+ Dearness allowance)	al
Regional Office,		CFSs/ICDs/ICPs/Bonded		Interact
Jaipur		Warehouse/Rail		ion
		Terminal/Custom Operations.		
	3.	Ensuring Customs compliances		
	4.	Conversant with statutory		
		requirement and The		
		Warehousing		
		Corporation Act 1962.		

^{*} Provided that amount of pension received from all sources does not exceed the prescribed remuneration/fee i.e. 50% of last drawn pay. In case the amount of pension received from all sources exceeds the 50% of last drawn pay, such excess amount of pension will be deducted from the prescribed remuneration/fee i.e. 50% of last drawn pay.

The period of engagement shall be initially for one (01) year and the tenure may be extended at the discretion of the Corporation as per the requirement, if the services of the Consultant are found useful and satisfactory. The modalities for engagement of Ex-CWC employees/outside experts as Advisors/Consultants on contractual basis shall be governed by the guidelines of the Corporation as amended from time to time. The salient terms & conditions of engagement of Advisors/ Consultants are enclosed as Annexure-I.











(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking) जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for everyone

How to Apply

- (i) Interested and eligible candidates shall have to apply Online through the link: https://www.cwceportal.com/Careers. The Link for Online Application shall remain active from **07.03.2025** to **21.03.2025**.
- (ii) Candidates shall upload the scanned copies of following while filling the Application form Online:
 - SSC/Xth certificate as proof of Date of Birth
 - Self-Attested copies of Educational Qualification Certificate (Provisional/ Original)
 - Self-Attested copies of Experience/Service Certificate
 - Relieving Certificate from the last employer
 - Last drawn Pay Certificate
- (iii) **Undertaking for Vigilance Clearance**: The applicants shall **mandatorily upload** the duly signed copy of proforma while applying Online for the post, the format of proforma is enclosed as **Annexure-II**.

All correspondence with the candidates shall be done through e-mail / CWC Website only. Information regarding Personal Interaction shall be provided through e-mail / CWC Website.

For this purpose, candidates are advised to visit career portal of CWC (https://www.cwceportal.com/Careers) regularly for further instructions. CWC shall not be responsible for any loss of e-mail sent, due to invalid/wrong email ID provided by the candidate or due to any other technical reasons

Note: Those candidates, who fulfill the eligibility criteria, shall only be called for Personal Interaction.

Enclosure-: As above

(AKSHRA JAIN) FOR REGIONAL MANAGER

Copy to:

- All RMs, CWC, ROs for displaying on notice board for wide publicity.
- Manager (MIS), CWC, CO, New Delhi for arranging to upload on CWC website.











(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking) जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for everyone

Annexure-I

SALIENT TERMS & CONDITIONS FOR ENGAGING RETIRED EMPLOYEES/OUTSIDE EXPERTS AS CONSULTANT/ADVISOR ON CONTRACTUAL BASIS

- 1. The Consultant/Advisor will be engaged initially for one (01) year and the tenure could be extended on yearly basis as per the need of the concerned Department till attaining the age of 65 years.
- 2. There should be no disciplinary/criminal proceedings/charge sheet pending against the applicant nor any punishment was awarded to him/her by the Organisation/s where he/she was serving for the last 10 years before his/her superannuation. A self-declaration to this effect would be required as per the Format given in Annexure II. The Corporation may verify details from last organisation of the Advisor and in case it is found to be not true, his/her services will be terminated without assigning any reasons.
- 3. The Consultant/Advisor shall have to sign a Non-Disclosure Agreement with the Corporation on appropriate value of Stamp consonance with prevalent guidelines of the Corporation.
- 4. The Consultant/Advisor would be required to work on all working days from 9.30 AM to 6.00 PM at Corporate Office and 10.00 AM to 5.00 PM at Regional Offices and at Warehouses as per timings notified by RM/CO.
- 5. The performance of Consultant/Advisor engaged at CO/ROs/WHs shall be monitored as per the guidelines of the Corporation.
- 6. Consultant/Advisor would be paid TA/DA/Hotel charges as per eligibility of the last post held at the time of retirement and in the case from other PSU/Govt., of the equivalent post in CWC, while on official tour, subject to maximum of E-8 Level.
- 7. The Consultant/Advisor would not communicate any of the information to any outside agency related to the matter, whatsoever, comes to his knowledge during the period of their consultancy.
- 8. The Consultant/Advisor would not sign any document/affidavit etc. given to outside Agencies on behalf of the Corporation.
- 9. The Consultant/Advisor will get no other benefit whatsoever except the consolidated remuneration being offered to him/her.
- 10. The TDS would be deducted as per applicable rules/laws on the consultancy charges.











(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking) जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for everyone

- 11. The Consultant/Advisor would maintain absolute integrity/devotion and discipline during the period of their consultancy with the Corporation
- 12. The deduction of amount from monthly remuneration will be made on pro-rata basis if the Consultant/Advisor remains absent from place of deployment except one holiday per month allowed to them with the prior approval of the concerned HoD/Regional Manager.
- 13. The Consultant/Advisor shall have to attend at the work place/on holidays/late hours as may be required by Controlling officer for which no extra remuneration will be paid.
- 14. The period of Consultancy can be terminated anytime by the Corporation without any notice and assigning any reasons thereof.
- 15. The Consultant/Advisor working with CWC will not be permitted to take up any assignment with other organisation/Company (Govt. or private) du ing the currency of their consultancy in CWC.
- 16. The Consultant/Advisor engaged by the Corporation will have no employee/employer relationship with CWC. Hence, they will not be eligible/ entitled for any such benefits available to the employees of CWC.











(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Government of India Undertaking) जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for everyone

Annexure-II

Undertaking for Vigilance Clearance

, ,	heet pending against	me nor any punish	neither any disciplinary, nment was awarded to i ny Superannuation.	•
<i>g.</i> ,				
Date:			(Signature of C	Candidate)